बाबूखां - अलताफ खां प्र.सं. 01/22

	आज्ञा पत्र	
25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट व वकील रेस्पो. को बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील उपस्थित नहीं आये। वकील अपीलांट को सुना गया। बाद आदेश दिनांक 26.5.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
26.5.25	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट स्वीकार कर ए.ल. का निर्णय अपास्त की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 01 / 2022

1 बाबू खां पुत्र सलावत खां उम्र 48 साल जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम कासली तहसील धोद जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 असलम खां पुत्र सलावत खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम कासली तहसील धोद जिला सीकर राज.।
2 सुरेश कुमार पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम कासली तहसील धोद जिला सीकर राज.।
3 रणजीत सिंह पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी ग्राम कासली तहसील धोद जिला सीकर राज.।
4 प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा ग्राम कासली तहसील धोद जिला सीकर राज.।
5 उप पंजीयक धोद जिला सीकर राज.।
6 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय धोद जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. काश्त. अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 30.01.2019 अन्तर्गत
आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
संख्या 47 / 2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर शीर्षक असलम खां बनाम
सुरेश कुमार आदि के विरूद्ध अपील।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भोजराज सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 47/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 1862/1233 वाके ग्राम कासली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से उभयपक्ष को वाद में अंतिम डिक्री तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 1862/1233 रकबा 2.50 हैक्टेयर भूमि स्थित थी जिसमें अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 भूमियों के खातेदार, काश्तकार थे जो संयुक्त शामलाती भूमि थी जिसमें संयुक्त रूप से ही काश्त होती थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने कानून को नजर अंदाज कर विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ जाकर अपीलानटस के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.01.2019 को यह कहकर अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार कर लिया कि विवादित भूमियों के संबंध में मूलवाद में विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश हो चुके है अतः उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव के पश्चात अंतिम डिक्री तक विवादित आराजी खसरा नम्बर 1862/1233 रकबा 2.50 हैक्टेयर वाके ग्राम कासली की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने अपने अंतरिम स्थगन आदेश में मौका की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने का आदेश था फिर भी विचारण न्यायालय ने अपने ही आदेश के विरूद्ध जाकर दिनांक 30.01.2019 को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश कर दिया जो किसी भी दृष्टि से कानूनन सम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने पर तथा विचारण न्यायालय द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री किये जाने के बाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा ही प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति लगाकर सहखातेदारान को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति से प्रतिबंधित रखने की कुमंशा से एक आवेदन विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की आपत्ति का प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन खारिज होने पर विचारण न्यायालय को मुगालता देकर एक अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी ताकि विचारण न्यायालय का रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश दिनांक 30.01.2019 अनवरत चलता रहे एवं अपीलान्ट तथा शेष रेस्पोडेन्टस इस आदेश से प्रतिबंधित रहें, जिससे अपने कृषि लाभों से वंचित हो सके ऐसी कुमंशा से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आदेश पारित करवा लिया जो कानूनन स्थिर रहने योग्य नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 30.01.2019 जल्दबाजी में कानूनी तथ्यों का अवलोकन नही कर वस्तुस्थिति को समझे बिना ही पारित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गलत फायदा पहुंचाने की नीयत से पारित किया गया है इसलिये उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2019 को निरस्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में मूलवाद निर्णित हो चुका है। अतः प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट असलम खां ने विवादित भूमि के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर विचाराधीन आवेदन धारा 212 प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2018 को विवादित भूमि के संदर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। विचाराधीन निर्णय दिनांक 30.01.2019 में विचारण न्यायालय में अंकित किया है कि विवादित भूमियों के संदर्भ में मूलवाद में विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश हो चुके है। स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य लंबित वाद में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत रखने का कोई औचित्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर